

तारीख हुपम	हुपम या कर्षवाही मय इनिशियलस पत्र	अन्वय व तारीख अहकाम जो इस हुपम की तामील में जारी हुई
---------------	-----------------------------------	---

26¹⁰/₁₉

प्राची द्वारा प्रार्थना पत्र तहसीलदार शेजारण सिंह के समक्ष पेश कर विवेदन किया कि आप हाबडूम्बा को जमाबंदी सम्बन्ध 2013-2016 की खतौनी नं. 53, 54, 56, 114, 118, 188, 191, 193, 194, 203, 440, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 654, व 677 में मेरा नाम कन्हैमालाल पुत्र रामकरण कौम और साठ हाबडूम्बा हो रखा है जबकि मेरा सही नाम कानारास पुत्र रामकरण कौम और साठ हाबडूम्बा है अन्य रिकार्ड में भी कानारास पुत्र रामकरण ही ही अतः रिकार्ड राजस्व में कन्हैमालाल पुत्र रामकरण के बजाय कानारास पुत्र रामकरण ही रिकार्ड फलामा जावे। जिस पर तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट पटवारी ली गयी तथा प्रकरण 136 LR म. च. के तहत हेमरा का मय अमिशंषा पेश किया। प्रार्थना पत्र ही रजिस्टर हो।

प्रकरण में प्राची कानारास पुत्र रामकरण तथा आशजिगत के सहखातेदार प्राची के अर्द्ध प्रह्लाद पुत्र रामकरण के बगानात कलम बद्ध किए गये।

अप्रपक्ष को सुना गया। पत्रावली का अन्वेषण किया। बहस पर मनन किया। उक्त वादग्रस्त आशजिगत गाम ~~में~~ हाबडूम्बा तहसील शेजारण सिंह में स्थित होना प्रस्तुत रिकार्ड से जाहिर है अतः सभी खतौनियों की आशजिगत में कन्हैमालाल पुत्र रामकरण दर्ज है जबकि प्राची के कथनानुसार, रिपोर्ट पटवारी एवं अमिशंषा तहसीलदार, परिवार सामान्य कार्ड, आभार कार्ड एवं बगानात से जाहिर है कि कन्हैमालाल ही नाम नहीं होकर ही नाम कानारास है जो कि झुंझुली गोगल है। प्रकरण 136 LR म. च. की परिधि में आना पता जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्राची मुताबिक रिपोर्ट पटवारी एवं अमिशंषा तहसीलदार के अनुसार स्वीकार किया जाकर आशजिगत बगैर खतौनी संख्या 53, 54, 56, 114, 118, 188, 191, 193, 194, 203, 440, 641, 642, 643, 644, 645,

कानारास
 कन्हैमालाल

646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 654 एवं 677 जमाबंदी
सम्बन्ध 2073-76 वाले ग्राम राजकुम्भा तहसील रोडा-
राजसिंह में दर्ज खातेदार कन्हैयालाल पुत्र रामकरण
के स्थान पर कानाराज पुत्र रामकरण दर्ज रिकार्ड
डिटे जाने की स्वीकृति पटान की नगरी एी शेष सभी
अंकन बदस्तूर रहेगी तदनुसार रिकार्ड राजस्व
में अंकन हेतु पाठनार्थ तहसीलदार रोडा राजसिंह
को आदेश जारी हो पत्रावली कैमल कुमार
द्वारा दर्ज नम्बर है कम हो हुकम आज दिनांक
26/12/2019 को खुले न्यायालय में सुमाचारणा

(डॉ० सुरजसिंह नेगी)
उपखण्ड अधिकारी
रोडा राजसिंह

[Faint, mostly illegible handwritten text follows, likely a continuation of the legal notice or a separate document.]